राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 111/2016/जयपुर

मैसर्स मुकेश शर्मा
41,रतनपुरी,अजमेर रोड,जयपुर

......अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स
तृतीय, जयपुर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.एन.असावा,
अभिभाषक

.......अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक

.... प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.05.2017

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र, अपील संख्या 470/2015/जयपुर को अदम पैरवी/अदम हाजरी में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 22.11.2016 को आदेश पारित कर खारिज कर दी गई थी, जिसको रेस्टोर कराने हेतु प्रस्तुत किया गया।

अपीलार्थी द्वारा अपील जरिए डाक राजस्थान कर बोर्ड को प्रेषित की गई थी, जिसको अपील संख्या 470/2015/जयपुर दर्ज की जाकर तहत रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलार्थी को दिनांक 05.02.2016 को तारीख पेशी 06.04.2016 के लिए नोटिस जारी किया। किन्तु अपीलार्थी सुनवाई तिथि 06.04.2016 को उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात दिनांक 10.06.2016, 22.08.2016 एवं 22.08.2016 को नियत सुनवाई तिथियों पर वह उपस्थित नहीं हुआ । दिनांक 22.11.2016 को सुनवाई तिथि को अपीलार्थी व उसके अभिभाषक को तीन बार आवाज लगवाई गई,परन्तु फिर भी किसी के उपस्थिति नहीं होने के कारण कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 470/2015/जयपुर को अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज कर दी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि दिनांक 22.11.2016 को वाद सूची में उक्त वाद के आगे 'For Record' का उल्लेख किया हुआ था एवं वह उक्त तिथि को बुखार से पीडित था इसलिए जयपुर से अजमेर नहीं आने का उचित कारण था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि व्यवहारी को सुनवाई दिनांक 22.11.2016 की जानकारी थी, इसके बावजूद उसकी ओर से ना तो स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया और ना ही कोई उक्त तिथि को उपस्थित हुआ।

उक्त अपील को रेस्टोर करवाने हेतु रेस्टोरशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी सुनवाई के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से इस पीठ के समक्ष ऐसा कोई ठोस दस्तावेजीय साक्ष्य अथवा कारण नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे कि अपील को रेस्टोर किया जाये। अपीलार्थी द्वारा अपील डाक से भेजने के पश्चात एक बार भी नियत सुनवाई तिथि को

उपस्थित नहीं हुआ है। उपयुक्त कारणों को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष